

बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा-आमंत्रण

NIT No.-03/2026

बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका के 26वें संस्करण की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कवर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति दूरभाष निर्देशिका न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-15.06.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से ग्रथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-17.06.2026 के 04.30 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा एवं निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तों बिहार विधान सभा के वेबसाईट <https://vidhansabha.bihar.gov.in/> पर द्रष्टव्य है।

संजय कुमार सिंह  
संयुक्त निदेशक,  
बिहार विधान सभा, पटना।

## बिहार विधान सभा सचिवालय

### निविदा-आमंत्रण

NIT No.-03/2026

बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका के 26वें संस्करण की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतिष्ठाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कवर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति दूरभाष निर्देशिका न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-15.06.2026 को 3.00 बजे अपराहन तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-17.06.2026 के 04.30 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

#### निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें:-

1. बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका का कागज एवं कवर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उच्च कोटि का होगा,
2. बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका में लगभग 450 पृष्ठ मुद्रित होगा,
3. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
4. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कवर के विभिन्न रंगों के रेक्सिन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना, स्वीकृत नमूना के अनुरूप निविदादाता को एक प्रतिकृपी (dummy) संलग्न करना एवं निविदा के कवर पर फर्म का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,
5. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यांकित होना चाहिए,
6. निविदादाता के पास अपना अत्याधुनिक 04 कलर ऑफसेट मशीन एवं आधुनिक बाईन्डिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए।
7. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Similar nature of Work) का अनुभव होना चाहिए,
8. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी जो दिनांक-31.03.2027 तक वैध हो सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा।
9. सभी पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका की आपूर्ति मुद्रक को अंतिम प्रूफ प्राप्त होने के तीन सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देनी होगी,
10. उक्त निर्देशिका की Soft Copy MS Word / PDF में पेन ड्राईव में सभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा,
11. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप बिहार विधान सभा दूरभाष निर्देशिका का मुद्रण नहीं करने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,
12. निविदादाता को निविदा के साथ नोटराइज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि उनके फर्म/प्रेस को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
13. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

संजय कुमार सिंह  
संयुक्त निदेशक,  
बिहार विधान सभा, पटना।